प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 379 सन 2022

अनवान :–

1. विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ममता पुत्री राजेन्द्र कुमार जरिये नाबालिग जरिये माता सरोज पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 178/119 की कुल 1.0120हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250हैक में से 1/15 हिस्सा दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये याद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 178/119 की कुल 1.0120हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 एनटीआर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250हैक में से 1/15 हिस्सा दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरासतन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करया पाने के अधिकारी है तथा वादी का नाम विकास पुत्र राजेन्द्र के स्थान पर विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद संशोधित करने के आदेश फरमावे

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 178/119 की कुल 1.0120हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250हैक में से 1/15 हिस्सा दोनो खातो में भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता राजेन्द्र के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 178/119 की कुल 1.0120हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250हैक में से 1/15 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी का नाम विकास पुत्र राजेन्द्र के स्थान पर विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ममता पुत्री राजेन्द्र कुमार जरिये नाबालिग जरिये माता सरोज पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 379 सन 2022 निर्णय दिनांक– 27/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 178/119 की कुल 1.0120हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250हैक में से 1/15 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी का नाम विकास पुत्र राजेन्द्र के स्थान पर विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner